79

3

BEFORE THE HON'BLE MEMBERS,

BOARD OF REVENUE, GWALIOR.

Revision Application No. निग/, 3627-पी/2015

REVISIONIST : I.J.M. (India) Infrastructure Ltd. Hyderabad.

A Company registered under the provisions of Companies Act, 1956, having its Registered Office at H.No. 1-89/1, Plot no. 42 & 43, Kavuri Hills, Phase-1, Madhapur, Hyderabad-81, Andhra Pradesh and a place of business at 179-B, Shanti Vihar Colony, near Gayatri Mandir, Rajakhedi, Makroniya, Sagar (M.P.) represented through its Country Head/Whole Time Director, Shri Tan Kiam Choon, S/o Shri, Tan Tin Guan, aged about 60 years, R/o.Varuna- 811, My Home Navadweepa Apartments, Madhapur, Hyderabad-500081, India,.

श्री ... द्वारा आज दि. 2.11.15 को प्रस्तुत
2-11-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

VERSUS

RESPONDENTS :

1- The State of M.P., through Its Secretary,
Department of Revenue, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal

2- The Collector, Sagar, District Sagar (M.P.)

3- The Sub-Divisional Officer, Khurai, District Sagar (M.P.)

4- The Tehsildar, Tahsil Malthone, District Sagar (M.P.)

5- Revenue Inspector, Tahsil Malthone, District Sagar (M.P.)

02/11/15

NOTARY
GOVT OF A.P. INDIA

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3627-बी/2015 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 47/अ–67/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आई.जे.एम. कार्पोरेशन, बरहद को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा झांसी से लखनादौन सड़क मार्ग के फोर लेनिग का ठेका प्रदान किया गया था। जिसने यह ठेका उप–अनुबंध करके आवेदक आई.जे. एम. इण्डिया को दिया था। उक्त सड़क के फोर लेनिग में लगने वाली गिट्टी एवं मुरम के लिये विधिवत् कम्पनी द्वारा कलेक्टर (खनिज) सागर से उत्खन्न पट्टे निश्चित भू–भाटक एवं पर प्राप्त किये गये थे और समय–समय पर भू–भाटक एवं रॉयल्टी जमा कर अस्थाई उत्खन्न पट्टे की शर्तो के अधीन उत्खन्न कार्य किया गया था। आवेदक कम्पनी को उत्खन्न पट्टा ग्राम विकोर कला की भूमि सर्वे नं. 424/2 के विभिन्न भूखण्डों में कुल 16 है0 भूमि पर गिट्टी और मुरम उत्खन्न कार्य हेतु अनुमति दी गयी थी। जिस पर उत्खन्न कार्य विधिवत् अनुसार निर्धारित मात्रा में किया गया था अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा आवेदक कम्पनी को नोटिस भेजकर जानकारी चाही कि ग्राम विकोरकला तहसील मालथोन की शासकीय भूमि 424/1 रकबा 14.64 है0 में आवेदक कम्पनी	

द्वारा अवैध रूप से पत्थर उत्खन्न कार्य किया जा रहा है। जिसका जबाव आवेदक कम्पनी द्वारा दिया गया और बताया गया कि उनके द्वारा कोई अवैध उत्खन्न नहीं किया गया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक कम्पनी पर 2,37,60,000/- रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक कम्पनी द्वारा कलेक्टर जिला सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 05.08.2015 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैध उत्खन्न नहीं किया है बल्कि जो भी उत्खन्न किया गया है वह निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा में किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो सूचना पत्र दिया गया था उसका विधिवत् जबाव आवेदक कम्पनी द्वारा दिया गया था किन्तु उनके द्वारा आवेदक कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जबाव पर एवं समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किये है, वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6- उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक कम्पनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा प्राधिकरण द्वारा झांसी से लखनादौन के सड़क मार्ग के फोर लेनिंग का ठेका प्रदान किया गया था। जिसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र अनुलग्न अ-1 एवं अ-2 के रूप में संलग्न है। उक्त सड़क के फोर लेनिंग में लगने वाली गिट्टी एवं मुरम के लिये विधिवत् कम्पनी द्वारा कलेक्टर (खनिज) सागर से उत्खन्न पट्टे निश्चित भू-भाटक प्राप्त किये थे। वाद कारण तहसीलदार मालथौन के आदेश दिनांक 21.01.2011 से उत्पन्न हुआ है, परन्तु आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक कम्पनी को सूचना नहीं दी गयी है। आर.आई. मालथौन द्वारा जो प्रतिवेदन दिनांक 20.11.2011 को बनाया गया है उससे पूर्व कोई सूचना कम्पनी को नहीं दी गयी है किसी भी सामग्री एवं मशीनरी की जप्ती खसरा नं.424/1 से नहीं हुयी है, जिससे कहा जा सके कि कथित अवैध उत्खन्न हुआ है। तहसीलदार मालथौन द्वारा दो गुना जुर्माना प्रस्तावित किया है जबकि आदेश में जुर्माना राशि चार गुना लगायी गयी है। कोई स्वतंत्र गवाह के वयान पर उत्खन्न की जाँच नहीं की गयी है जबकि अनुविभागीय अधिकारी खुरई के आदेश से स्पष्ट है कि अवैध उत्पन्न खसरा क्र.424/2 पर किया गया है, जोकि वास्तव में मंजूर लीज है, इसलिए राजस्व अधिकारियों का कथन भी विरोधाभासी है। इस स्थिति पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया। आदेश एकपक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है, जबकि दिनांक 09.02.2013 को असि. खनिज अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है किन्तु कम्पनी को कोई सूचना नहीं दी गयी है और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। इस प्रकार सुनवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार आर.आई. मालथौन द्वारा किये गये निरीक्षण तथा दूसरी बार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में

आवेदक कम्पनी को कोई सूचना नहीं दी गयी है, जबकि कलेक्टर न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2015 स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न पंचनामें से स्पष्ट है कि आवेदक कम्पनी की ओर से कोई मौजूद नहीं था। आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी मात्रा में गिट्टी का इस्तेमाल हुआ तथा कितनी रॉयल्टी का भुगतान नहीं हुआ, जबकि जितनी मात्रा में मुरम, रेत, गिट्टी का उपयोग हुआ है उसके अनुसार रू. 2,44,09,150/- रॉयल्टी का भुगतान आवेदक कम्पनी द्वारा किया गया है यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में था कि आवेदक कम्पनी द्वारा रॉयल्टी की पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है फिर भी आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदक कम्पनी को उत्खन्न पट्टा ग्राम वीकोरकला की भूमि सर्वे नं. 424/2 के विभिन्न भूखण्डों में कुल 16 हैक्टयर पर भूमि पर गिट्टी एवं मुरम उत्खन्न हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। जिस पर उत्खन्न कार्य विधिनुसार निर्धारित मात्रा में किया गया था अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक कम्पनी को एक सूचना पत्र इस आशय से दिया कि ग्राम वीकोरकला तहसील मालथोन जिला सागर की शासकीय भूमि खसरा नं. 424/1 रकवा 14.64 है0 में आवेदक कम्पनी द्वारा अवैध रूप से पत्थर उत्खन्न कार्य किया जा रहा है। इसका जबाव आवेदक कम्पनी द्वारा दिया गया जो अनुलग्न अ-4 के रूप में संलग्न है। उक्त सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुये आवेदक कम्पनी द्वारा बताया गया था कि भूमि खसरा नं. 424/1 रकवा 14.64 है0 स्थित ग्राम वीकोरकला तहसील मालथोन जिला सागर में कोई भी उत्खन्न कार्य आवेदक कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त कम्पनी के जबाव पर विधिवत् विचार किये बिना तथा समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा दिनांक 20.11.2012 को पारित किया है, वह वैधानिक एवं उचित नही है। क्योंकि उक्त आदेश पारित किये

जाने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जबाव एवं समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश पारित किया है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है इस संबंध में 2007 (दो) एस.एस.सी 181, 2008 (14) एस.एस.सी. 151 तथा ए.आई.आर 1991 एस.सी 1216, 1981 एस.सी. 136, 2010 आर.एन.101 उच्च न्या. में निर्धारित किया गया है। कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का लागू होना सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांता लागू होगा। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आदेश खनिज निरीक्षक के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि ऐसा प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य भी नहीं है अतः ऐसे अग्राह्य प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वह उचित नहीं है। खनिज निरीक्षक एवं पटवारी के कथनो पर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि उपरोक्त साक्ष्य पर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि भूमि खसरा नं. 424/2 पर आवेदक कम्पनी द्वारा उत्खन्न कार्य नहीं किया है वही दूसरी ओर आवेदक कम्पनी का यह कथन कि उनके द्वारा भूमि खसरा नं. 424/2 में ही उत्खन्न कार्य किया गया है ऐसी स्थिति में मामला परस्पर विरोधाभासी है और ना कि भूमि खसरा क्रमांक 424/1 ऐसी स्थिति में उनपर लगाया गया अर्थदण्ड अप्रासगिक है। जहॉ तक प्रश्नाधीन भूमि में उत्खन्न का प्रश्न है तो इस संबंध में कोई भी स्थानीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि गिट्टी एवं मुरम का उत्खन्न करने वाली मशीनरी श्रमिक एवं पत्थर की धुलाई करने वाले वाहनो का कोई विवरण अभिलेख पर नहीं है। जिससे स्पष्ट हो सके कि ऐसा उत्खन्न आवेदक कम्पनी ने ही किया है अवैध उत्खन्न के संबंध में कोई सूचना संबधित थाने में नहीं दी गयी है और न ही संलिप्त

मशीनरी वाहन तथा उपकरण की जब्ती अथवा उत्खनित रकवे का कोई पंचनामा अभिलेख पर नहीं है। और न ही आदेश में यह उल्लेख है कि साक्षियों को कैसे तलब किया गया और उनका परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण कैसे किया गया है आवेदक कम्पनी को बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का कैसे अवसर दिया गया है अभिलेख पर नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वंय मौका का स्थल निरीक्षण दिनांक 09.02.13 को किया गया है तथा खसरा नं. 424/1 पर 320×30×10 गड्डा माप किया जाना बताया गया है। जबकि इसकी कोई सूचना आवेदक कम्पनी को नहीं दी गयी है और न ही उनके समक्ष ऐसे कोई जॉच की गयी है अतः ऐसी अवैध जॉच के आधार पर जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह वैधानिक नहीं है उपरोक्त तथ्यों पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार न करने में वैधानिक त्रुटि की गयी है, इसलिए अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, खुरई द्वारा प्रकरण क्र. 06/अ-67/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 एवं कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र. 473/ 67/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 5.08. 2015 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य